



संपादकीय

जनता की सुरक्षित यात्रा से बेपरवाह सत्ताधीश

मध्यप्रदेश में मंगलवार की सुबह साढ़े पाँच बजे के लगभग खरगोन में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। खरगोन जिले के डोंगरगांव में यात्रियों से भरी बस एक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे सखी हुई नदी में जा गिरी। इस हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। राज्य के गृहमंत्री के मुताबिक इस घटना में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। इस जांच के बाद ही दुर्घटना की सही वजह पता लगेगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपये और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये बताए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब गंभीर और मामूली घायलों को किस तरह अलग-अलग परिधियां दिया जाएगा, यह अलग सवाल है। वैसे इस बात पर किसी को शोध करना चाहिए कि एक साल में हमारी निवाचित सरकारें कितने लाख या करोड़ रुपए उन दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे के तौर पर देती हैं, जिन्हें रोका जा सकता था। प्राकृतिक हादसों पर तो किसी का जोर नहीं, लेकिन भगदड़, दीवार या छत गिरना, सड़क दुर्घटना, जहरीली शराब ये सब सरकार-प्रशासन निर्मित दुर्घटनाएं हैं, जिनके लिए सरकारों को दंडित किया जाना चाहिए, मगर सरकारों जनता की गाढ़ी कमाई को मुआवजे के तौर पर देकर एहसान जाती है। चुनावों के वक्त घोषणापत्रों में तमाम तरह के बाद किए जाते हैं, भाषणों में हिंदू-मुसलमान के नाम पर बेशमी से बोट मारे जाते हैं, लेकिन कभी कोई ये बाद नहीं करता कि इस तरह के हादसों को रोकने की ईमानदार कोशिश की जाएगी। इसमें पूरा दोष सरकारों पर नहीं डाला जा सकता। जनता भी इस तरह के हादसों को अपनी नियति मान चुकी है। इसलिए वह सरकार से जवाब नहीं मांगती, केवल सड़कों-पुलों के शिलान्यास पर ताली बजाने के लिए भीड़ के रूप में जुट जाती है। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जब देश में कहीं कोई सड़क दुर्घटना न हुई हो। किसी न किसी हिस्से में दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। अगर एक-दो लोगों की जान जाए, तो उस अब लोग सामान्य खबर की तरह लेने लगे हैं और अगर अधिक लोग हताहत हों, तो थोड़ा बहुत अफसोस पीड़ितों के लिए किया जाता है, लेकिन सरकार से जवाबदेही मांगने जैसी कोई पहल कहीं दिखाई नहीं देती। वैसे भी सड़क हादसों में मरने वाले अधिकतर गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोग होते हैं, जिनका जिंदा रहना राजनैतिक दलों के लिए इसलिए जरूरी है कि उनसे उन्हें बोट मिल जाते हैं, इससे अधिक उनकी जिंदगी की उपयोगिता नहीं मानी जाती है। अभी 4 मई को अजमेर जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार पर टैक्टर पलट गया तो 8 लोगों की मौत हो गई। इसी दिन छत्तीसगढ़ में धमतरी के पास नेशनल हाइवे पर सड़क हादसे में 10 लोग मारे गए। 6 मई को लखनऊ-बहराहच मार्ग के पास कैसरगंज कस्बे में एक ऑटो को दूसरे वाहन की टक्कर से ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 7 मई को मुरादाबाद में दलपतपुर-काशीपुर हाइवे पर दो वाहनों की भिड़ंत में 10 लोग मारे गए। यानी पिछले पांच-छह दिनों में अलग-अलग राज्यों में कम से कम 50 लोग सड़क हादसों का शिकार हो गए। इसमें एक-दो मृतकों वाले हादसों को शामिल ही नहीं किया गया है, वर्णा आँकड़ा और बढ़ जाएगा। भारत विश्व की सड़क हादसों में होने वाली 11 प्रतिशत मौतों के साथ शीर्ष पर ऐसे ही नहीं आया है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021' में बताया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 18 लोगों की जान जा रही है और औसतन 44 लोग घायल हो रहे हैं। इन हादसों में मृतकों के 67 प्रतिशत लोग 18 से 45 आयु के हैं। यानी युवाओं की बड़ी संख्या सड़क हादसे का शिकार हो रही है। 2021 में देश में नेशनल हाइवे पर कुल 1,28,825 हादसे हुए थे। अब 2022 की रिपोर्ट आएगी, तब और पता चलेगा कि देश कितने चिकने, साफ-सुधरे रस्ते पर चलते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकारें दावा भी तो ऐसा ही करती हैं। भारत के शहरों को शंघाई, टोक्यो, न्यूयार्क जैसा बना देने के कितने सपने लोगों को दिखाई गए हैं। अभी इस साल की शुरूआत में ही मध्यप्रदेश में 6,800 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हिट एंड रन यानी मार कर भाग जाने वाले अपराध में पीड़ितों के लिए मुआवजा भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट को पढ़ें तो लोगों का देश कितने चिकने, साफ-सुधरे रस्ते पर चलते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकारें दावा भी तो ऐसा ही करती हैं। भारत के शहरों को शंघाई, टोक्यो, न्यूयार्क जैसा बना देने के कितने सपने लोगों को दिखाई गए हैं। अभी इस साल की शुरूआत में ही मध्यप्रदेश में 6,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य में जिस तरह की सड़कों का जाल विकसित किया जा रहा है वो अमेरिका की सड़कों से भी बेहतर होंगी। श्री गडकरी अगले साल तक अमेरिका जैसी सड़कों के खाब दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तो 2018 में ही कह दिया था कि मध्यप्रदेश की सड़कों अमेरिका से कम नहीं हैं। अब जनता समझ ले कि अमेरिका के नाम पर किस तरह उसे मुख्य बनाया जा रहा है। वैसे जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था, उसके कुछ दिनों बाद एक ट्रॉट उहोंने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत शतप्रतिशत टीकाकरण के दावे का किया था और लिखा था कि छतरपुर के तीन गांवों तक सड़कें न होने से टीम 10 किमी पैदल, नाव से जंगल व अन्य बाधाओं को पार कर पहुंची।

इमरान खान को गिरफ्तारी से सक्त में पाक

गोरव सिंह
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस बक्त गृहयुद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल अकाउंटिंगलिटी ब्यूरो (नैब) ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। वैसे तो इमरान खान पर कुल 83 एफआईआर विभिन्न मामलों में दर्ज है, जिनमें महिला जज को धमकी देना, बतौर प्रधानमंत्री मिले तोहफों को तोशाखाने में जमा न करना आदि शामिल हैं। लेकिन अभी इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में कदाचार करने के जुर्म में नैब ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि कई नोटिस दिए जाने के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, उस पर उनके समर्थक सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान किसी अन्य मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें बहां अग्रामाणिक नर्मिके से गिरफ्तार किया गया। दावान

दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला

डॉ. ज्ञान पाठक
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी एस नरसिंहा शामिल हैं, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र राज्यों के शासन और वास्तविक शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ये शक्तियां राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ रहनी चाहिए। गणराज्य राजधानी क्षेत्र की निर्वाचित सरकार और राज्य की शक्तियों को हड्डीपे के केंद्र के कदमों के बांच दिल्ली में सत्ता संघर्ष पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की सर्वधानिक पीठ द्वारा ११ मई को दिया गया सर्वसम्मत फैसला देश के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसलिए कि केंद्र की पोमोदी सरकार पर राज्यों की शक्तियों का अतिरिक्तमण कर देश के सर्वधानिक संघवाद को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी एस नरसिंहा शामिल हैं, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र राज्यों के शासन और वास्तविक शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ये शक्तियां राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ रहनी चाहिए। बेंच ने यह फैसला इस मुद्दे पर दिया कि देश की राजधानी दिल्ली में सिविल सेवकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है या दिल्ली सरकार का। हालांकि आप ने दावा किया है कि यह उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन वास्तव में इसका असर उन सभी राज्यों पर पड़ेगा जहां गैर-भाजपा राजनीतिक दलों का शासन है और प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जाता रहा है। राज्य आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र कई केंद्र विधायिकाओं के माध्यम से राजनीति कर रहा है और न केवल समवर्ती सूची के विषयों में बल्कि उन विषयों में भी



हस्तक्षेप कर रहा है जो विशेष रूप से राज्य सूची या पंचायती राज के तहत विभागों में है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण के पक्ष में फैसला सुनाया है और माना है कि नौकरशाहों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। फैसले में यह भी माना गया है कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा गया, तो मर्तियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जाना होगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। दिल्ली के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवाओं पर नियंत्रण सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़ अन्य सभी तक विस्तारित होगा। अन्य राज्यों के समान दिल्ली सरकार भी सरकार के प्रतिनिधि रूप में ही प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए संघ की शक्ति का कोई और विस्तार देश की संविधान योजना के विपरीत होगा। इसके अलावा, यदि अधिकारी मर्तियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है कि एलजी के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं हो सकता है, और कहा कि एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार के विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं देती हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि कई विपक्षी शासित राज्यों को अपने राज्यपालों के साथ समस्या है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किये गये हैं। राज्यों के पास भी शक्ति है, बेंच ने कहा, लेकिन राज्य के कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून वे अधीन होगी। यह सुनिश्चित करना होगा विराज्यों का शासन भारत संघ द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाये। फैसले में कहा गया है कि लोकतंत्र और संघवाद का सिद्धांत संविधान की बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है, जो विविध हितों के अस्तित्व के सुनिश्चित करता है और विविध आवश्यकताओं को समायोजित करता है। माय २०१४ में नंद्रे मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से एनसीटी दिल्ली भाजपा और आप के बीच सत्ता संघर्ष का शिकार रही है और इस समय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, जो अरविंद केजरीवाल ने १४ फरवरी, २०१६ को इस्तीफा दे दिया था अपने प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी कानून के लिए समर्थन

जुटाने में असमर्थता के कारण, केवल ४९ दिनों के लिए राज्य पर शासन करने के बाद उपर्युक्त जब २०१५ में विधान सभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने ७० में से ६७ सीटें जीतकर भाजपा को अपमानजनक हार दी। भाजपा केवल ३ सीटें जीत सकी। केंद्र की मोदी सरकार इस हार को टाल नहीं पाई और उपराज्यपाल के माध्यम से चुनी हुई दिल्ली सरकार के कामकाज में हर तरह की बाधा डालने लगी। इस प्रकार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव शुरू हुआ, जो बाद में २०१८ में और बढ़ गया, जिसने आप सरकार को यह तर्क देते हुए अदालत जाने के लिए प्रेरित किया कि उसके फैसलों को उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा लगातार ओवरराइड किया जा रहा था, जो दिल्ली में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद यह मामला दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझा दिया है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाएँ को कौन नियंत्रित करता है - एक ऐसा सर्वालंब जिसके कारण अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार और एलजी के बीच वर्षों तक खींचतान चली। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि नौकरशाहों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, फाइलों में को मंजरी नहीं दी गयी थी और बुनियादी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार बॉस है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में, उपराज्यपाल के पास भारत के सर्विधान के तहत चुने गए स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।

एलजी को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर काम करना है और 'एक बाधावादी' के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, 'निरंकुशताता' के लिए कोई जगह नहीं है और

अराजकतावाद के लिए भी कोई जगह नहीं है।' बाद में, सेवाओं सहित व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित अपीलों पर एक नियमित तीन जजों की पीठ का गठन किया गया, जिसने अपील सुनी और केंद्र के अनुरोध पर इस मामले को सविधान पीठ को भेज दिया। आप ने राज्य के २०२० के आम चुनाव में ६२ सीटें जीतकर फिर से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को फिर से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और वह ८ सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने २०२१ में जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन किया और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के स्थान पर दिल्ली सरकार का अर्थ बदलकर 'लेफ्टिनेंट गवर्नर' कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के लिए ठीक से और स्वतंत्र रूप से काम करना असंभव हो गया क्योंकि उन्हें बड़े फैसले में एलजी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। चुनाव के बाद से प्रशासनिक सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुईं, कमचारियों और अधिकारियों को नियुक्त करने, स्थानांतरित करने और नियन्त्रित करने की सरकार की शक्ति समाप्त हो गयी। २०२२ के एमसीडी चुनाव के बाद स्थिति और खराब हो गयी, जिसमें आप ने भाजपा के १५ साल के शासन को समाप्त कर दिया उसने एमसीडी चुनाव में शानदार जीत हासिल की। भाजपा ने मेयर के चुनाव में भी अड्डा लगाया, और कानूनी लड़ाई के बाद अप्रैल २०२३ में जाकर आप को अपना मेयर मिल सका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्सर शिक्षण की थी कि वह केंद्र की अनुमति के बिना एक 'चपरासी' भी नियुक्त नहीं कर सकते थे और नैकरशाह उनकी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते थे क्योंकि उनका कैडर नियन्त्रण प्राधिकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय था। इस पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक है, और इसलिए न केवल आप बल्कि पूरे विषय द्वारा भी इसका जश्न मनाया जाना चाहिए।

से उठे विवाद के बाद राज्यपाल पद इस्तीफा दे चुके हैं, वे इस पर क्या कहे? यह पता नहीं। लेकिन हैरानी यह देखकर होती है कि अदालत से आए इस फैसले को भाजपा अपनी बड़ी जीत बता रही है। सिर्फ इसलिए व्यांगिक उसकी सरकार बगड़ी है और अदालत ने मुख्यमंत्री शिंदे व अयोग्य नहीं ठहराया, उनसे उनका पनहीं छीना। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी ने इस आदेश पर कहा कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले संतुष्ट हैं। वहाँ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शिवालय ने कहा कि महाराष्ट्र शिंदे सरकार को यह बड़ी राहत है। अप्रदेश को स्थिर सरकार मिलेगी। इस्टिपणियों से साफ है कि भाजपा और शिंदे गुट को गलत तरीके से सत्ता हथियाने पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने बस सत्ता चाहिए और अदालत के आदेश से फिलहाल वो सुरक्षित हैं। उद्घव ठाकरे और उनके दल के बाकी लोग इस फैसले से निराश हो सकते हैं कि बात उनके हक में नहीं रही। उद्घव ठाकरे अगले इस्तीफा नहीं देते, तो शायद बाजी पल सकती थी। लेकिन अब कम से कम भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है कि किस तरह संवैधानिक पदों व दुरुपयोग वह सत्ता के लिए कर रही है। देश में जितने गैरभाजपा शासित राज्य हैं वहाँ राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच अक्सर टकराव की खबरें आ रहती हैं, जिससे संविधान का अनावृत्ति होता है।

पैदा
जेजा।
हुई।
उन्जीर
फिर
रीफ
भी
की
है।
वहां
पद
जाने
मरान
बाद
तलने
महले
इस
की
है।
के
गरण

सरे देश का गुस्सा इमरान खान के सियासी शत्रुओं से ज्यादा सेना पर है। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान को कभी पटरी पर आने ही नहीं दिया सेना ने। उसने देश में जम्हूरियत की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया। यह पाकिस्तान की जनता की सोच में बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। एक दौर में पाकिस्तान की अवाम अपनी सेना के लिए जां निसार करती थी। पर अब उसे जनत की हकीकत समझ आने लगी है। उसके सामने सच्चाई आ गई है।

उसे पता चल गया है कि सेना के पूर्वी पाकिस्तान में कल्लोआम के कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। उसे समझ आ गया है कि सेना ने अकारण भारत पर 1965 और फिर 1971 में हमले किए और

अपन हा प्रधानमंत्रिया का दृश्मन पाक

आर.क. १८

इमरान खान की गिरफ्त होने की जरूरत नहीं वह रिहा हो चुके हैं। इमरान से पहले प्रधानमंत्रियों को जेखानी पड़ी है। सबसे में सैनिक तानाशाह 3 प्रधानमंत्री हुसेन शह को जेल भेजा था। उसके विभाजन से पहले के प्रधानमंत्री थे। तब के मुखिया को प्रधानमंत्री जाता था। जब 1946 डायरेक्ट एक्शन के 3 कोलकाता में हिंसा सुहारावर्दी ही बंगाल थे। कहते हैं कि उन्होंने खिलाफ हिंसा को रुका चेष्टा नहीं की थी। नियम

जुरु कक्कार बुट्टे का जालावर न पढ़ा
हुए जिया उल हक ने जेल भेजा।
उसके बाद भुट्टो को फांसी भी हुई।
भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनजीर
भुट्टो को भी जेल जाना पड़ा। फिर
उनकी हत्या भी हुई। नवाज शरीफ
और शाहिद अब्बासी ने भी
प्रधानमंत्री के रूप में जेल की
सलाखों के पीछे वक्त बिताया है।
यही पाकिस्तान का चरित्र है। वहां
पर निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को पद
से हटाने और गिरफतारिकरणे
की परंपरा पुरानी है। हाँ, इमरान
खान की गिरफतारी के बाद
पाकिस्तान जिस तरह से जलने
लगा है, उस तरह के हालात पहले
कभी देखने में नहीं आये। इस
लिहाज से इमरान खान की
गिरफतारी थोड़ी अलग जरूर है।
इमरान खान को करण्शन के
आरोपों में जेल में डालने के कारण

